न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

प्रा.पत्र संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/89/2022	2022/102	11.04.2022	02.05.2022

—उनवान—

1. शहनाज पत्नी सदीक जाति मेव, निवासी ग्राम बंदीपुरा तहसील मालाखेड़ा, जिला अलवर।

—प्रार्थीनी

बनाम

1. महेन्द्रसिंह पुत्र श्री धन्नालाल जाति जाट, निवासी ग्राम डूमेडा तहसील व जिला अलवर।
2. जवाहरसिंह पुत्र श्री परसादी जाति जाट, निवासी ग्राम बडौली, तहसील पहाड़ी जिला भरतपुर।
3. महेश कुमार पुत्र श्री दीनाराम गुर्जर निवासी ग्राम धंवाला तहसील व जिला अलवर।
4. रज्जाक मोहम्मद पुत्र कमल खां
5. मुश्ताक पुत्र रज्जाक
6. दीनू पुत्र श्री कमल खां जाति मेव, निवासी ग्राम कलसाड़ा तहसील मालाखेडा, जिला अलवर।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः—

01. श्री गणपतसिंह नरूका —वकील प्रार्थी

02. श्री मूलचन्द चौधरी —वकील अप्रार्थीगण

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा के न्यायालय में विचाराधीन वाद उनवान शहनाज बनाम महेन्द्रसिंह वगै0 को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया।

विद्वान वकील प्रार्थीनी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मुंतकिल के सूक्ष्म तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीनी द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेघाज्ञा मय प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट पेश किया हुआ है जिसमें आगामी तारीख पेशी 29.03.2022 थी। अप्रार्थी संख्या 1 व 3 काफी असरदार आदमी है जिनका पीठासीन अधिकारी आपसी संबंध है दिनांक 24.03.2022 को प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 3 को पीठासीन अधिकारी के चैम्बर से बाहर निकलते हुए देखा गया है। दिनांक 25.03.2022 को अप्रार्थीगण द्वारा गांव में एलानिया तौर पर कहा गया है कि उक्त मुकदमें का फैसला अपने पक्ष में कराकर रहेगें। उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा से हमारे संबंध है। पीठासीन अधिकारी से प्रार्थीया को न्याय की आशा नही है। अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र मुंतकिल स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन पत्रावली को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल फरमाया जावें।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने बहस व जवाब में निवेदन किया कि प्रार्थीया का यह कथन कि अप्रार्थी संख्या 1 व 3 असरदार आदमी है और उनका पीठासीन अधिकारी से संबंध और सरोकार है कतैई गलत है तथाकथित दिनांक 24.03.2022 को अप्रार्थी संख्या 1 व 3 पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में नहीं गये थे तथाा दिनांक 25.03.2022 को अप्रार्थीगण द्वारा किसी भी तरह का कोई ऐलानिया नहीं कहा कि विचाराधीन वाद का निस्तारण हमारे पक्ष में करा कर रहेगें। प्रार्थीया द्वारा अंकित किये गये तथ्य मुकदमें में देरी की नियत से दर्ज किये गये है क्योंकी प्रार्थनी के पक्ष में स्थगन आदेश जारी है। प्रार्थीया पीठासीन अधिकारी पर नाजायज दबाव बनाकर मुकदमें का फैसला विधिविरूद्व तरीके से अपने पक्ष में कराना चाहती है। अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र मुंतकिल खारिज फरमाया जावें। वकील अप्रार्थी द्वारा आर.आर.टी 2020 (2) पेज 896 पेश किया है।

उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया कि प्रार्थनी द्वारा न्यायालय को अंधेरे में रखते हुए एक वाद शहनाज बनाम महेन्द्रसिंह वगै0 पेश किया गया है जिसमें स्थगन आदेश पारित है। प्रार्थनी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 9 (मौका कमीश्नर)

जिला कलक्टर, अलवर

लगाया गया था जिसमें कमीश्नर रिपोर्ट प्राप्त हो चुकि है। प्रार्थना पत्र 212 वर्तमान में बहस वास्ते विचाराधीन है। प्रार्थनी द्वारा पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोप मिथ्या और निराधार है। मुंतकिल प्रार्थना पत्र श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत हो जाने के कारण आाज दिनांक तक कोई कार्यवाही संपादित नहीं की जा रही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी द्वारा पेश समस्त दस्तावेजात् का अवलोकन व मनन किया। प्रा0पत्र मुंतकिल वाद के निस्तारण में देरी की मंशा से पेश किया गया है। अप्रार्थीगण को पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में बैठे देखना तथा बार–बार तारीखे देना प्रकरण को अन्तरण करने का आधार नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र मुंतकिल के संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति का शपथ–पत्र भी पेश नहीं किया है। प्रार्थना–पत्र मुंतकिल खारिज योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मुन्तकिल खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे। उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा प्रकरण में नियमानुसार शीघ्र सुनवाई कर प्रकरण का विधिवत निस्तारण करें। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.05..2022 को अद्योहस्तारकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिव प्रसाद नकाते)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)

जिला कलक्टर, अलवर